



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :- पी०ए०/ 4468
दिनांक :- 19.11.2025

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रो० दिनेश कुमार, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बंधित जनसूचनाओं की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु आगामी आदेशों तक प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

[Signature]
कुलसचिव

प्रतिलिपि --

01. प्रो० दिनेश कुमार, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
02. सचिव, राज्य सूचना आयोग, छटवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
04. समस्त संकायाध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
05. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
06. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
07. कुलानुशासक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
08. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
09. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
10. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
11. विश्वविद्यालय अभियंता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
12. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
13. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाईट।

[Signature]
कुलसचिव

06